राजस्थान सरकार

राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर

क्रमांकः–प.2(20ब)लेखा / 2023 / 69 दिनांकः 17/4/2023

–:: निविदा सूचना ::–

कार्यालय में निम्नांकित कार्य के लिये सक्षम ठेकेदारों से वित्तीय वर्ष 2023–2024 हेतु मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्धारित दिनांक 25.04.2023 को प्रातः 11:00 बजे तक बेचे जाकर दोपहर 1.00 बजे तक निविदाएँ प्राप्त की जाकर उसी दिवस 3.00 बजे क्रय कमेटी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं / उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी।

निविदा प्रपत्र निविदा शुल्क जमा कराने पर, निविदा प्रकाशित होने के पश्चात कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकती है।

निविदा क्रमाक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	अमानत राशि	निविदा शुल्क	निविदा खोलने की दिनांक	कार्य की अवधि
01	अनुबन्ध दर से संस्थान के छात्रावास में भोजन, चाय व नाश्ता की व्यवस्था करने का कार्य	5.00 से 8.00	0	200.00	25.04.2023	अप्रेल, 2023 से मार्च, 2024 तक

नियम व शर्ते कार्यालय समय में कार्यालय आकर अथवा SPP Portal पर देखी जा सकती है।

(चेतन कुमार त्रिपाठी)
निदेशक
राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
अजमेर।

C:\RRTI-2019=\TENDER\food tender form 2023-24.docx

Signature valid

Digitally signed by Chetan Kumar Triphati
Designation : Deputy Director
Date: 2023.04.17 12:53:16 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर

हॉस्टल में प्रशिक्षणार्थियों को भोजन एवं चाय व्यवस्थार्थ कार्य हेतु दर संविदा

निविदा – प्रपत्र

(वर्ष 2023–2024)

मूल्य : 200.00 रूपये

F:\RRTI-2019\TENDER\food tender form 2023-24.docx

Signature valid
Digitally signed by Chetan Kumar Triphati
Designation : Deputy Director
Date: 2023.04.17 12:53:16 IST
Reason: Approved

अनुसूची "अ"

भोजन एवं चाय व्यवस्थार्थ दर संविदा हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा शर्तेः–

1. यह कार्य वित्तीय वर्ष 2023–2024 की अवधि के लिये है।
2. निविदा के साथ दर्शित धरोहर राशि डी.डी./नंकद के रूप में डी.डी. निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर के नाम देय होना चाहिये निविदा प्रपत्र जमा करवाते समय धरोहर राशि जमा करानी होगी।
3. वित्तीय वर्ष 2023–2024 में समय–समय पर होने वाले सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थित प्रशिणार्थियों हेतु भोजन, नाश्ता एवं चाय की व्यवस्था प्रतिदिन की जानी है। जिसकी सूचना समय–समय पर दी जाती रहेगी। उक्त व्यवस्था का उपभोग करने वाले वास्तविक रिफ्रेशर कोर्स के प्रशिक्षणार्थियों का ही भुगतान संस्थान द्वारा देय होगा।
4. भोजन में शुद्व एवं अच्छी किस्म की सामग्री (एगमार्का) का प्रयोग करना होगा तथा तेल मूंगफली (डबल रिफ़ाईण्ड) का प्रयोग करना होगा।
5. हरी सब्जी ऋतु अनुसार अलग–अलग प्रकार की देनी होगी।
6. एक सप्ताह में कम से कम दो बार पनीर की सब्जी देनी होगी।
7. दाल प्रतिदिन अलग–अलग प्रकार की देनी होगी।
8. भोजन तैयार करने एवं वितरण में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
9. भोजन सामग्री तथा तैयार भोजन की शुद्वता की सम्पूर्ण जिम्मदारी ठेकेदार की होगी।
10. भोजन/चाय तैयार करने हेतु समस्त सामग्री व श्रम शक्ति निविदादाता की होगी।
11. पानी की सुविधा संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।
12. भोजन तैयार करने एवं प्रशिक्षार्थियों को भोजन कराने हेतु केटरिंग (बर्तन) की व्यवस्था निविदादाता द्वारा अपने स्तर करनी होगी। जिसका कोई भुगतान संस्थान द्वारा नही किया जायेगा।
13. भोजन वितरण कार्य फर्म (ठेकेदार) द्वारा ही करवाने होंगें ।
14. उक्त वर्णित शर्तो के अनुसार कार्य नही करने पर ठेकेदार को तत्सम्बन्धी होने वाले भुगतान में से शास्ती के रूप में कटौतियां की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में निदेशक राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
15. उक्त दर्शित कार्य आपको निर्देशानुसार पूर्ण कराने है, असफलता की स्थिति में आपकी जमा सुरक्षा राशि जब्त करते हुए संस्थान द्वारा यह कार्य आपकी रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य माध्यम से करा लिया जायेगा। अधिक भुगतान की स्थिति में यह राशि आपसे वसूलनीय होगी।
16. ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी।
17. भोजन की गुणवत्ता के स्तर में गिरावट अथवा प्रशिक्षणार्थियों द्वारा मीनू अनुसार सप्लाई नही होने की निरन्तर शिकायतें प्राप्त होने की स्थिति में सुरक्षा राशि जब्त की जाकर निविदा निरस्त करने का अधिकार संस्था प्रधान को होगा।
18. अनुमोदित निविदादाता को कार्यादेश जारी किये जाने से पूर्व निविदा स्वीकृति के 7 दिवस में रूपये 500/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित कराना होगा व 5 प्रतिशत एस.डी. राशि जमा करवानी होगी।
19. यहां कार्य करने वाली एजेन्सी का इस विभाग से नौकर मालिक का कोई सम्बन्ध नही होगा।
20. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फूड (Food) वैध लाइसेन्स की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
21. GST हेतु सम्बन्धित विभाग में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न की जावें।

F:\RRTI-2019\TENDER\food tender form 2023-24.docx

Signature valid

Digitally signed by Chetan Kumar Triphati
Designation : Deputy Director
Date: 2023.04.17 12:53:16 IST
Reason: Approved

22. ठेकेदार द्वारा कुल प्राप्त कलेक्शन का ब्यौरा मय जीएसटी देयता, पूर्ण विवरण संस्थान को प्रस्तुत करना होगा एवं कुल कलेक्शन का 1 प्रतिशत इस संस्थान में आय मद 0029—00—800—01—03 में जमा कराना होगा।
23. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र अजमेर होगा।
24. अनुमोदित ठेकेदार के भोजन की गुणवत्ता की जांच आकस्मिक रूप से खाद्य निरीक्षक एवं कार्यालय कमेटी द्वारा कराई जायेगी। गुणवत्ता उचित नहीं पाये जाने पर ठेका उसी समय निरस्त किया जा सकेगा।
25. ठेकेदार द्वारा घरेलु उपयोग वाले सिलेण्डर का उपयोग किया जाना पूर्णतया वर्जित होगा।
26. **चाय, नाश्ता, लंच एवं डिनर का मेन्यू निविदा के साथ संलग्न है।**
27. **इस संस्थान द्वारा निर्धारित मेन्यू अनुमोदित ठेकेदार को उपलब्ध कराया जायेगा, उसी के अनुसार अनुमोदित ठेकेदार द्वारा भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। (प्रति संलग्न)**
28. **इस संस्थान द्वारा कराये जाने वाले प्रशिक्षणों के अलावा अन्य किसी भी राजकीय संस्थान/निगम/बोर्ड/स्वायत्तशाषी संस्था/कार्यालय इत्यादि द्वारा प्रशिक्षण कराये जाने पर इस संस्थान द्वारा अनुमोदित ठेकेदार को निविदा में अन्तिम रूप से तय की गई दरों पर ही उक्त राजकीय संस्थान/निगम/बोर्ड/स्वायत्तशाषी संस्था/कार्यालय इत्यादि को भी चाय—नाश्ता, लंच एवं डिनर उपलब्ध कराया जायेगा।**
29. **आरटीएस प्रशिक्षुओं से चाय, नाश्ता, लंच एवं डिनर का भुगतान ठेकेदार द्वारा स्वयं के स्तर पर प्राप्त करना होगा। इस संस्थान द्वारा इसमें किसी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं किया जायेगा।**
30. **ठेकेदार को किचन में उपभोग की गई विद्युत का भुगतान इस संस्थान के सबमीटर के अनुसार करना होगा।**
31. **ठेकेदार द्वारा आरटीएस प्रशिक्षुओं से 15 दिवस का अग्रिम भुगतान प्राप्त करना होगा।**
32. **ठेकेदार को, आरटीएस प्रशिक्षु जो कि अवकाश पर जा रहा है, उससे एक दिन पूर्व लिखित में सूचना अपने स्तर पर प्राप्त करनी होगी, ताकि अवकाश अवधि में भोजन शुल्क के भुगतान के संबंध में कोई विवाद नहीं हो।**
33. **अन्तिम चयन निविदा कमेटी के द्वारा स्वाद एवं गुणवत्ता के आधार पर मूल्यांकन कर वरीयता घोषित कर किया जायेगा।**
34. **जिस अवधि में हॉस्टल में मैस संचालित नहीं है। उस अवधि में मैस को पूर्ववत स्थिति में कार्यालय, स्टोर/हॉस्टल प्रभारी को सुपुर्द किया जायेगा अन्यथा नियमानुसार शुल्क वसूला जायेगा।**

मै.. उक्त शर्तो के अधीन रहते हुए भोजन एवं चाय की व्यवस्था हेतु अपनी दरें उक्तानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसके लिये मैं पूर्ण बाध्य रहूंगा। इस हेतु मैं अपनी सहमति देता हूँ।

(चेतन कुमार त्रिपाठी)
निदेशक
राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
अजमेर।

हस्ताक्षर निविदादाता ऐजेन्सी
नाम व पता ....
....
दूरभाष न. ....

C:\Users\USER\Desktop\RRTI-2019--\TENDER\food tender form 2023-24.docx

Signature valid
Digitally signed by Chetan Kumar Triphati
Designation : Deputy Director
Date: 2023.04.17 12:53:16 IST
Reason: Approved

अनुसूची "ब"

दरों का विवरण

1. निविदादाता एजेन्सी का नाम एवं पता मय टेलिफोन नम्बर : ....

....

....

2. निविदादाता की पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न है : ....

3. निविदादाता का PAN नम्बर (पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें) ....

4. प्रस्तुत दरें:–

क्र.सं.	आईटम विवरण	दर	
1.	चाय	....	प्रति चाय
2.	नाश्ता प्रातः 8:00 बजे	....	प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन
3.	मध्याह्न भोजन दोपहर 1:30 बजे	....	प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन
4.	रात्रि भोजन सायं 7:00 बजे से	....	प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन

5. धरोहर राशि 25000/– रूपये जमा कराई गयी : डी.डी./नकद

6. निविदा प्रपत्र बेचे जाने की तिथि : **25.04.2023** समय प्रातः **11:00** बजे तक
7. भरी हुई निविदा प्रस्तुत करने की तिथि : **25.04.2023** समय दोपहर **1:00** बजे तक
8. निविदा प्रपत्र खोले जाने की तिथि : **25.04.2023** समय दोपहर **3:00** बजे तक

दिनांक ....

हस्ताक्षर निविदादाता एजेन्सी

नाम व पूरा पता......................................

....

....

C:\RRTI-2019=\TENDER\food tender form 2023-24.docx

Signature valid

Digitally signed by Chetan Kumar Triphati
Designation : Deputy Director
Date: 2023.04.17 12:53:16 IST
Reason: Approved

राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
भोजन सूची

वार	समय	विवरण
सोमवार	8:00 से 11:30	चाय, दूध 200 मिलीलीटर एवं नाश्ता (पोहा प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च, निम्बू, ब्रेड बटर)
	11:45 से 12:00	चाय
	1:15 से 2:30	लंच (मिक्स दाल, भिण्डी अथवा आलू+गोभी, सादा चावल बासमती, रायता मीठे दही का, सलाद (टमाटर,गाजर,मूली,प्याज़,खीरा एवं निम्बू), अचार, पापड़, मिर्च फ्राई, देसी घी की चुपड़ी चपाती)
	3:45 से 4:00	चाय
	8:00 से 9:30	डिनर (आलू छोला, मटर पनीर अथवा शाही पनीर, सादा चावल बासमती, रायता मीठे दही का, सलाद (टमाटर,गाजर,मूली,प्याज़,खीरा एवं निम्बू), अचार, पापड़, मिर्च फ्राई, देसी घी की चुपड़ी चपाती, एक पीस गुलाब जामुन बड़ा)
मंगलवार	6:00 से 7:00	चाय
	8:00 से 9:00	दूध 200 मिलीलीटर, केला एवं नाश्ता (उपमा, अचार, किसान सॉस, ब्रेड बटर)
	11:45 से 12:00	चाय
	1:15 से 2:30	लंच (दाल अरहर, टिण्डे अथवा आलू+पत्ता गोभी, सादा चावल बासमती, रायता मीठे दही का, सलाद (टमाटर,गाजर,मूली,प्याज़,खीरा एवं निम्बू), अचार, पापड़, मिर्च फ्राई, देसी घी की चुपड़ी चपाती)
	3:45 से 4:00	चाय
	8:00 से 9:30	डिनर (कढ़ी, दम आलू, सादा चावल बासमती, रायता मीठे दही का, सलाद (टमाटर,गाजर,मूली,प्याज़,खीरा एवं निम्बू), अचार, पापड़, मिर्च फ्राई, देसी घी की चुपड़ी चपाती एक पीस रसगुल्ला)
बुधवार	6:00 से 7:00	चाय
	8:00 से 9:00	दूध 200 मिलीलीटर, केला एवं नाश्ता (इडली सांभर, नारियल की चटनी, ब्रेड बटर)
	11:45 से 12:00	चाय
	1:15 से 2:30	लंच (चना एवं उड़द दाल, लौकी अथवा गाजर+मटर+गोभी, सादा चावल बासमती, रायता मीठे दही का, सलाद (टमाटर,गाजर,मूली/प्याज़/खीरा एवं निम्बू), अचार, पापड़, मिर्च फ्राई, देसी घी की चुपड़ी चपाती)
	3:45 से 4:00	चाय
	8:00 से 9:30	डिनर (गट्टे, पालक पनीर, सादा चावल बासमती, रायता मीठे दही का, सलाद (टमाटर,गाजर,मूली,प्याज़,खीरा एवं निम्बू), अचार, पापड़, मिर्च गट्टा, देसी घी की चुपड़ी चपाती एक पीस नारियल बर्फी)
गुरुवार	8:00 से 7:00	चाय
	8:00 से 9:00	दूध 200 मिलीलीटर, केला एवं नाश्ता (आलू का परांठा, दही, अचार)
	11:45 से 12:00	चाय
	1:15 से 2:30	लंच (मूंग दाल, आलू+बैंगन अथवा मिक्स वेज, सादा चावल बासमती, रायता मीठे दही का, सलाद (टमाटर,गाजर,मूली/प्याज़/खीरा एवं निम्बू), अचार, पापड़, मिर्च फ्राई, देसी घी की चुपड़ी चपाती)
	3:45 से 4:00	चाय
	8:00 से 9:30	डिनर (राजमा, टिण्डे अथवा गाजर+मटर+गोभी, सादा चावल बासमती, रायता मीठे दही का, सलाद (टमाटर,गाजर,मूली,प्याज़,खीरा एवं निम्बू), अचार, पापड़, मिर्च फ्राई, देसी घी की चुपड़ी चपाती, खीर)
शुक्रवार	6:00 से 7:00	चाय
	8:00 से 9:00	दूध 200 मिलीलीटर, केला एवं नाश्ता (छोले भटूरे)
	11:45 से 12:00	चाय
	1:15 से 2:30	लंच (मल्का मसूर दाल, आलू+पालक अथवा आलू+मेथी, सादा चावल बासमती, रायता मीठे दही का, सलाद (टमाटर,गाजर,मूली,प्याज़,खीरा एवं निम्बू), अचार, पापड़, मिर्च फ्राई, देसी घी की चुपड़ी चपाती)

राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर रोड, अजमेर 305023 दूरभाष नम्बर 0145-2787140 ई-मेल rrtiajmer@rajasthan.gov.in

Signature valid
Digitally signed by Chetan Kumar Triphati
Designation : Deputy Director
Date: 2023.04.17 12:53:16 IST
Reason: Approved

	3:45 से 4:00 6:00 से 9:30	चाय डिनर (मिक्स दाल, लौकी अथवा आलू+मटर, सादा चावल बासमती, रायता मीठे दही का, सलाद (टमाटर,गाजर,मूली,प्याज़,खीरा एवं निम्बू), अचार, पापड़, मिर्च फ्राई, देसी घी की चुपड़ी चपाती, एक पीस केसर बाटी)
शनिवार	6:00 से 7:00 8:00 से 9:00 11:45 से 12:00 1:15 से 2:30 3:45 से 4:00 8:00 से 9:30	चाय दूध 200 मिलीलीटर, केला एवं नाश्ता (उपमा, अचार, किसान सॉस, ब्रेड बटर) चाय लंच (दाल अरहर, टिण्डे अथवा आलू-पत्ता गोभी, सादा चावल बासमती, रायता मीठे दही का, सलाद (टमाटर,गाजर,मूली,प्याज़,खीरा एवं निम्बू), अचार, पापड़, मिर्च फ्राई, देसी घी की चुपड़ी चपाती) चाय डिनर (कढ़ी, दम आलू, सादा चावल बासमती, रायता मीठे दही का, सलाद (टमाटर,गाजर,मूली,प्याज़,खीरा एवं निम्बू), अचार, पापड़, मिर्च फ्राई, देसी घी की चुपड़ी चपाती एक पीस रसगुल्ला)
रविवार	6:00 से 7:00 8:00 से 9:00 11:45 से 12:00 1:15 से 2:30 3:45 से 4:00 8:00 से 9:30	चाय दूध 200 मिलीलीटर, केला एवं नाश्ता (आलू का परांठा, दही, अचार) चाय लंच (मूंग दाल, आलू बैंगन अथवा मिक्स वेज, सादा चावल बासमती, रायता मीठे दही का, सलाद (टमाटर,गाजर,मूली,प्याज़,खीरा एवं निम्बू), अचार, पापड़, मिर्च फ्राई, देसी घी की चुपड़ी चपाती) चाय डिनर (राजमा, टिण्डे अथवा गाजर मटर, सादा चावल बासमती, रायता मीठे दही का, सलाद (टमाटर,गाजर,मूली,प्याज़,खीरा एवं निम्बू), अचार, पापड़, मिर्च फ्राई, देसी घी की चुपड़ी चपाती, खीर)

निदेशक
राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
अजमेर।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता
मय नाम व पता

Signature valid
Digitally signed by Chetan Kumar Triphati
Designation : Deputy Director
Date: 2023.04.17 12:53:16 IST
Reason: Approved